

वन मंडल अधिकारी  
हस्ताक्षर  
कोटी

**आदेश द्वारा श्री विकास करण वर्मा (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर**  
/ आदेश /

आदेश क्रमांक/व्यय/2018/29

सागर दिनांक 06/02/2018

वन मंडल अधिकारी दमोह के पत्र क्रमांक/भा.वि./83 दिनांक 02/02/2018 द्वारा प्रस्तुत दमोह जिला में वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण पारना जलाशय परियोजना में प्रभावित 55.30 हेक्ट. वनभूमि के बदले 55.59 हेक्ट क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (वैकल्पिक वृक्षारोपण) योजना प्राक्कलन (वर्ष 2017-18 से 2026-27 तक) अभिमत सहित प्रस्तुत करने के उपरांत मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/621/03/नियम/चार, दिनांक 03/09/2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. चयनित क्षेत्र का यूजर एजेंसी से सीमांकन एवं भूमि को अधिपत्य में लेने का बोर्ड कलेक्टर आदेश सहित लगावे।
2. कार्यों में मितव्ययता बरती जावे। कैम्पा मद के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल कार्य प्रारंभ कराया जाये।
3. क्रय की जाने वाली सामग्री में भण्डार क्रय नियमों का पालन करे एवं GST का तत्काल भुगतान करे।
4. रोपण क्षेत्र में मानक स्तर के पौधों का रोपण कराया जायेगा। मृदा परीक्षण अनुसार प्रजाति चयन व कृषि उपकरण से सिंचाई करें।
5. कराये जाने वाले वृक्षारोपण में मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वेक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/भू-सर्वे/बजट/1415 दिनांक 24/02/2004 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जावे।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/ 168 दिनांक 18/05/2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन कराया जाना सुनिश्चित करें एवं रोपण क्षेत्र, रोपित पौधों की औसत ऊंचाई एवं गोलाई व फोटो ग्राफ्स, वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के साफ्टवेयर में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. आस्थामूलक कार्य हेतु प्रस्तावित राशि की विस्तृत डी.पी.आर. 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगी।

| क्र | वन मंडल का नाम | परिक्षेत्र का नाम | ग्राम  | खसरा क्रमांक | रकबा हे.में. | राशि ₹ में                                                                    |
|-----|----------------|-------------------|--------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | दमोह           | तेजगढ़            | दिनारी | 655          | 55.59        | <b>1,91,34,170.00</b><br>(एक करोड़ इक्यानवे लाख चौतीस हजार एक सौ सत्तर मात्र) |

उक्त स्वीकृति कैम्पा मद के अंतर्गत विकलनीय होगी। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-D-3 के अनुक्रमों 21 पर दर्ज है।

(विकास करण वर्मा)

भा.व.से

मुख्य वन संरक्षक

सागर वृत्त सागर

सागर दिनांक 07/02/2018

पृ.क्रमांक/व्यय/2018/765

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
  2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
  3. वन मंडल अधिकारी दमोह की ओर उनके पत्र पत्र क्रमांक/भा.वि./83 दिनांक 02/02/2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन अनुमोदन उपरांत आपकी ओर भेजी जा रही है। उक्त कार्य हेतु कैम्पा मद में राशि प्राप्त होने पर तत्काल प्रारंभ कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि प्राक्कलन में उल्लेखित कार्य कैम्पा के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल प्रारंभ नहीं कराया जाता है और यदि कार्य कराने हेतु अधिक राशि की आवश्यकता होगी तो उसके लिये वनमंडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
  4. मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- संलग्न:- अनुमोदित प्रोजेक्ट (अनु 3 हेतु)

मुख्य वन संरक्षक  
सागर वृत्त सागर



# मध्यप्रदेश शासन



## वन परिक्षेत्र तेजगढ़ वन मंडल दमोह

परियोजना का नाम – पारना जलाशय के अंतर्गत  
वैकल्पिक वृक्षारोपण

### प्रोजेक्ट रिपोर्ट

|                  |   |                          |
|------------------|---|--------------------------|
| वर्ष             | — | 2018 — 19 से 2027 — 28   |
| वीट              | — | भैंसखार                  |
| प0ह0नं0          | — | 1 दिनारी खसरा नंबर — 655 |
| क्षेत्रफल        | — | 55.590 हे.               |
| ग्रामपंचायत      | — | दिनारी                   |
| ग्राम वन समिति   | — | पिपरिया टीकाराम          |
| विकासखंड         | — | तेन्दूखंडा               |
| जिला             | — | दमोह                     |
| विधानसभा क्षेत्र | — | 56 जबेरा                 |



**भाग - 2 प्रमाण - पत्र**  
**परियोजना का नाम -पारना जलाशय योजना**

-----000-----

प्रमाणित किया जाता है कि पारना जलाशय योजना में प्रभावित वन भूमि 55.30 हे. के विरुद्ध कलेक्टर दमोह के आदेश दिनांक 16.04.2013 द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित दमोह जिले की तहसील तेन्दूखेड़ा, ग्राम दिनारी, में खसरा नंबर 655 कुल रकवा-114.35 हे. में से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रदाय 55.59 हे. भूमि का स्थल निरीक्षण दिनांक 14.1.18 को किया गया। प्रस्तावित गैर वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्त है। उपरोक्त उल्लेखित गैर वनभूमि रकवा 55.59 हे. पूर्व में किसी अन्य परियोजना/प्रयोजन हेतु प्रस्तावित नहीं की गई है। उक्त हस्तांतरित खसरा नं. 655 रकवा 114.35 हे. गैर वन भूमि को म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-25-2/2016/10-3 दिनांक 02.03.2016 द्वारा भा.व.अ.1927 की धारा-29 में संरक्षित वनभूमि घोषित किया गया। वर्तमान में उक्त अधिसूचित संरक्षित वन भूमि को कोई वन कक्ष क्रमांक आवंटित नहीं हुआ है।

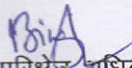
  
वन मंडल अधिकारी  
दमोह



**भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा**  
**पारना जलाशय परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना**  
**वृक्षारोपण के लिये 55.590 हेक्ट.**

| क्र.           | वित्तीय वर्ष | कार्य की मात्रा                        | व्यय राशि       | प्रति हेक्टेयर व्यय |
|----------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1              | 2017-18      | भूमि तैयारी                            | 8619000         | 155046              |
| 2              | 2018-19      | रोपण कार्य                             | 1879000         | 33801               |
| 3              | 2019-20      | रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव   | 1732700         | 31169               |
| 4              | 2020-21      | रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव | 1857000         | 33405               |
| 5              | 2021-22      | रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव   | 670000          | 12053               |
| 6              | 2022-23      | रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव  | 538000          | 9678                |
| 7              | 2023-24      | रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव    | 439000          | 7897                |
| 8              | 2024-25      | रोपण के पश्चात् षष्ठम वर्ष का रखरखाव   | 489000          | 8797                |
| 9              | 2025-26      | रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का रखरखाव   | 537000          | 9660                |
| 10             | 2026-27      | रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का रखरखाव   | 634000          | 11405               |
| <b>G Total</b> |              |                                        | <b>17394700</b> | <b>312911</b>       |

|                                                                                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| आस्थाभूतक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 5 प्रतिशत                     | 869735          |
| अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 4 प्रतिशत              | 695788          |
| मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 1 प्रतिशत                   | 173947          |
| <b>आस्थाभूतक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग</b> | <b>1739470</b>  |
| <b>महायोग :-</b>                                                                                | <b>19134170</b> |
| <b>प्रति हेक्टेयर व्यय :-</b>                                                                   | <b>344202</b>   |

  
वन परिक्षेत्र अधिकारी  
तेजगढ़

उप वनमंडलाधिकारी  
तेन्दूखेड़ा

  
वन मंडल अधिकारी  
दमोह वनमंडल दमोह

21/11/2018 5:00 PM / 29/11/2018 06/01/2018 10:00 AM 3 313/146



**मुख्य निदेशक**  
**वन विभाग-बतावच/मसागर**